कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 1606/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक– 31.01.2025.

सेवा में,

सी0ओ0ओ0, मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0,
यूनिट–डाला सीमेन्ट वर्कस,
डाला–सोनभद्र।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–1705/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/माईन/47074/2020 दिनांक–15.11.2022., मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला का पत्र दिनांक–24.01.2025, इस कार्यालय के पत्रांक–1595/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–29.01.2025 तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन के कार्यालय के पत्रांक–201/चोपन/15 दिनांक–30.01.2025.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। जिसका परीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1595/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–29.01.2025 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को निर्देशित किया गया, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन के कार्यालय के पत्रांक–201/चोपन/15 दिनांक–30.01.2025 द्वारा निम्नलिखित आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया हैः–

"विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियो के निराकरण से सम्बन्धित मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला के कार्यालय का पत्र दिनांक–24.01.2025 का परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि मैं0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक–04.10.2024 में बिना किसी बदलाव किये पुनः अपने पत्र दिनांक–24.01.2025 के माध्यम से आपत्ति निराकरण से सम्बन्धित आख्या/अभिलेख प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के पत्र दिनांक–14.11.2022 में लगायी गयी समस्त आपत्तियो का निराकरण नहीं किया गया है। समस्त आपत्तियो का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

उक्त के अतिरिक्त विषयक प्रकारण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी है:–

v- As per DSS analysis, it has been reported that the KML file of 13 patches having area less than 5 ha are still found uploaded on PARIVESH. The same needs to be revised on PARIVESH portal.

vi- The State Govt. has provided the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which have been found un-suitable for carrying out plantation work. It has been observed that the said areas proposed for CA are unsuitable for plantation and the same are not in conformity with the Ministry's guidelines dated 13.07.2022. The areas suitable for plantation in conformity with guidelines issued by the Ministry are therefore required to be provided.

''परिवेश–1'' पोर्टल पर प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नलिखत पत्र/प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–3039/33–1 दिनांक–03.06.2021 द्वारा 108.951हे0 व 22.60हे0 एवं हलिया रेंज के अन्तर्गत ग्राम–बड़ौहा, तहसील–लालगंज, जिला मीरजापुर का आराजी गाटा संख्या–651 रकवा 8.00हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–3517/मीरजापुर/15 दिनांक–10.03.2021 द्वारा 235.737हे0 व पटेहरा रेंज के मडिहान तहसील के अन्तर्गत ग्राम रैकरा में गाटा संख्या 108यमि रकवा 4.238हे0 तथा गाटा संख्या 108ठ रकवा 11.690हे0 कुल 15.928हे0 के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र।
3. उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–सकरन विकास खण्ड बिछिया में 10.57हे0 गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र।

उक्त पत्र/प्रमाण पत्र से प्रस्तावित प्रश्नगत गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने तथा गाटा एवं रकवा के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि, गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019 –190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र भी अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि का गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियो से अनुरोध करने की कृपा करें।''

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–26/2021 –एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 में लगायी गयी आपत्तियों का भलीं–भाति अवलोकन करने के उपरान्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारुप में सुस्पष्ट बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Observation No	Observation of GOI	Reply

साथ ही साथ प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर, प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव से समन्वय स्थापित कर विषयक प्रकरण में प्रस्तावित भूमि का गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट कराते हुए, सूचना/अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 1606 अ/समदिनांकित ।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र कानपुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट कराते हुए, आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट कराते हुए, आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में आपके वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट कराते हुए, आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/c

F:\New Folder\AM-8.docx

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन उप वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 201 /चोपन/15 खनन **दिनांक– 30-01- 2025.**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022, आपके कार्यालय के पत्रांक–975 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–28.10.2024, पत्रांक–1595/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–29.01.2025 तथा में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला के कार्यालय का पत्र दिनांक–24.01.2025.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियो के निराकरण से सम्बन्धित में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला के कार्यालय का पत्र दिनांक–24.01.2025 का परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक–04.10.2024 में बिना किसी बदलाव किये पुनः अपने पत्र दिनांक–24.01.2025 के माध्यम से आपत्ति निराकरण से सम्बन्धित आख्या/अभिलेख प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के पत्र दिनांक–14.11.2022 में लगायी गयी समस्त आपत्तियो का निराकरण नहीं किया गया है। समस्त आपत्तियो का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

उक्त के अतिरिक्त विषयक प्रकारण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–26/2021–एफ0सी0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी हैः–

v- As per DSS analysis, it has been reported that the KML file of 13 patches having area less than 5 ha are still found uploaded on PARIVESH. The same needs to be revised on PARIVESH portal.

vi- The State Govt. has provided the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which have been found un-suitable for carrying out plantation work. It has been observed that the said areas proposed for CA are unsuitable for plantation and the same are not in conformity with the Ministry's guidelines

dated 13.07.2022. The areas suitable for plantation in conformity with guidelines issued by the Ministry are therefore required to be provided.

''परिवेश–1'' पोर्टल पर प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नलिखत पत्र/प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–3039/33–1 दिनांक–03.06.2021 द्वारा 108.951हे0 व 22.60हे0 एवं हलिया रेंज के अन्तर्गत ग्राम–बड़ौहा, तहसील–लालगंज, जिला मीरजापुर का आराजी गाटा संख्या–651 रकवा 8.00हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–3517/मीरजापुर/15 दिनांक–10.03.2021 द्वारा 235.737हे0 व पटेहरा रेंज के मडिहान तहसील के अन्तर्गत ग्राम रैकरा में गाटा संख्या 108यमि रकवा 4.238हे0 तथा गाटा संख्या 108ठ रकवा 11.690हे0 कुल 15.928हे0 के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
3. उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–सकरन विकास खण्ड बिछिया में 10.57हे0 गैर वन भूमि के सम्बन्ध में उपयुक्तता/अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र। **(छायाप्रति संलग्न है।)**

उक्त पत्र/प्रमाण पत्र से प्रस्तावित प्रश्नगत गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने तथा गाटा एवं रकवा के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि, गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP 23/14–2–2019 –190जी/2018 दिनांक–28.06.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र भी अपलोड नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि का गैर वन भूमि के रुप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियो से अनुरोध करने की कृपा करें।

अतः आख्या/रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अभिषेक कुमार राय)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या– 3039 / 331 दिनांक, मिर्जापुर, जून 03, 2021.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन सं0–FP/UP/MON/47074/2020.

संदर्भः 1–आपका पत्रांक 936/ओबरा/15भू0हे0, दिनांक 29–1–2021.
2–इस कार्यालय का पत्रांक 2455/33–1 दिनांक 22–2–2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भगत पत्र सं0–1 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन सं0–FP/UP/MON/47074/2020 के कम में कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित मांगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2455/33–1 दिनांक 22–2–2021 द्वारा 108.951 हे0 का विवरण प्रेषित किया गया था, जिसकी समरी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे0में)	अभ्युक्ति
13	32.926	वृक्षारोपण योग्य है, परन्तु अतिक्रमित है।
06	20.111	वृक्षारोपण योग्य है, परन्तु अतिक्रमित होने के साथ–साथ वन क्षेत्र से दूर होने के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण में कठिनाई होगी।
14	55.914	पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।
कुल–33 गाटा	108.951	

उक्त प्रकरण में आपके पत्र संख्या–2592/15 दिनांक 6–4–2021 द्वारा 20.111 हे0 क्षेत्र वन क्षेत्र से दूर होने के कारण सुरक्षा एवं संरक्षण में कठिनाई को देखते हुये अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम परसिया, मुड़पेली में आ0सं0–886घ रकबा 22.60 हे0 वन भूमि प्रस्तावित किया गया है, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र सं0–2972/33–1 दिनांक 19–05–2021 द्वारा ग्राम परसिया, मुड़पेली की आ0सं0–886घ रकबा 22.60 हे0 पूर्ण रूप से पहाड़ी एवं बड़े–बड़े चट्टानों से आच्छादित होने एवं उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

इस प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत अतिक्रमित गैर वन भूमि 32.926 हे0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया जा रहा है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लि0) द्वारा अतिक्रमणमुक्त भूमि उपलब्ध कराना होगा। 32.926 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन एवं टोपोशीट 04 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

03/06

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर।

संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अल्ट्राटेक सीमेंट लि0, यूनिट डाला सीमेंट वर्क्स, डाला सोनभद्र को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,मिर्जापुर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 डाला सोनभद्र की लाइन स्टोन माइन्स में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले कैमूर वन्य जीव प्रभाग के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम बड़ौहा, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर में प्रस्तावित आराजी सं0–651 क्षेत्रफल 8.00 हे0 गैर वन भूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया से जॉच करायी गयी। उनकी जॉच आख्या दिनांक 30–6–2022 के आधार पर –

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के हलिया रेंज अन्तर्गत ग्राम बड़ौहा, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर में प्रस्तावित आराजी सं0–651 क्षेत्रफल 8.00 हे0 गैर वन भूमि में से लगभग 2.00 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। शेष गैर वन भूमि चट्टानी/पत्थरयुक्त भूमि है।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

196

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3517 /मीरजापुर/15 ,दिनांक, मीरजापुर, मार्च 10 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,ओबरा,
सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या–FP/UP/MON/47074/2020.

सन्दर्भ– आपका पत्रांक– 1937/ओबरा/15 भू0ह0, दिनांक 29.01.2021 ।

महोदय,

जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन संख्या–**FP/UP/MON/47074/2020** में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जाने वाली 235.737 हे0 गैर वन भूमि जो मीरजापुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त के सम्बन्ध में के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 व जियो रिफरेंसड मानचित्र, सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट, उपयुक्त्ता प्रमाण पत्र व छतिपूरक वनीकरण के प्रॉक्कलन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त का परीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं लेखपाल द्वारा किया गया, जिसका स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क सं	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	सदर	सिन्धोरा	1007	39.911	ग्राम–सिन्धोरा, गाटा संख्या–1007, क्षेत्रफल 39.911 हे0 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। भूमि अत्यधिक पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त नही है।
2	चुनार	चकगम्भीरा	114 मि0	127.502	ग्राम–चकगम्भीरा के गाटा संख्या–114मि0 रकबा 127.502 हे0 (कुल रकबा 138.80 हे0) का मौके का निरीक्षण किया गया। विषयांकित भूमि वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है।
3	लालगंज	नौदर	1क मि0	17.769	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे0 क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिक्रमित है शेष 2.769 हे0 भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है।
4	लालगंज	पुरा काशीनाथ	235मि0	16.046	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 0.01 हे0 क्षेत्र में तीन–चार झोपड़ी बनी हुयी है तथा 13 हे0 भूमि पथरीली एवं ककरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है। शेष लगभग 3.036 हे0 क्षेत्र जो

					वृक्षारोपण योग्य है।
5	लालगंज	मानिकपुर	3छ	9.131	ग्राम–मानिकपुर के आराजी संख्या–3छ रकबा 9.131 हे0 भूमि मौखिक रूप से एक सम्भावित अनुमान से जिस स्थान पर बताया गया उस स्थल पर लगभग 3 हे0 भूमि पर गेहूँ की खेती हो रही है तथा शेष 6.131 हे0 भूमि जो खाली पड़ा हुआ है वह पथरीली / ककरीली है जो वृक्षारोपण योग्य नही है।
6	लालगंज	उरूआ	78य	25.378	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 14 लोगो द्वारा जिसमें 8 पक्का आवास बना हुआ है तथा बने आवास पर कार्य चल रहा है तथा 5 कच्चा मकान बचा हुआ है जो लगभग 2.5 हे0 भूमि अतिक्रमित है शेष 6.00 हे0 क्षेत्र में बन्धी बना हुआ है जो डूब क्षेत्र है 16.878 हे0 क्षेत्र पथरीली एवं कंकरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है।
				235.737	

गोस्वारा

ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अभ्युक्ति
चकगम्भीरा	114 मि0	127.502	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त।
नौदर	1क मि0	2.769	
पुराकाशीनाथ	235 मि0	3.036	
	योग –	133.307	
नौदर	1क मि0	15.00	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त, परन्तु अतिकमित ।
मानिकपुर	3छ	3.00	
सिन्धोरा	1007	39.911	
	योग –	57.911	
पुरा काशीनाथ	235मि0	13.01	पथरीला एवं डूब क्षेत्र एवं भवन निर्मित होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त।
मानिकपुर	3छ	6.131	
उरूआ	78य	25.378	
	योग –	44.519	
सम्पूर्ण योग –		235.737	

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

भवदीय,

(संजीव कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या अ / समदिनांक

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

191.218 हेक्टेयर चिन्हित गैर वन भूमि पर छतिपूरक वनीकरण हेतु (संशोधित) उपयुक्ता प्रमाण पत्र

जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में मीरजापुर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली 191.218 हे0 गैर वन भूमि का परीक्षण/सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से कराया गया, उनकी जॉच रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र सं	जनपद/प्रभाग	तहसील	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	मीरजापुर	चुनार	चुनार	चकगम्भीरा	114 मि0	127.502	ग्राम–चकगम्भीरा के गाटा संख्या–114मि0 रकबा 127.502 हे0 (कुल रकबा 138.80 हे0) का मौके का निरीक्षण किया गया। विषयांकित भूमि वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है।
2–	मीरजापुर	लालगंज	पटेहरा	नौदर	1क मि0	2.769	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे0 क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिकमित है शेष 2.769 हे0 भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है।
3–	मीरजापुर	लालगंज	पटेहरा	पुरा काशीनाथ	235मि0	3.036	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 0.01 हे0 क्षेत्र में तीन–चार झोपड़ी बनी हुयी है तथा 13 हे0 भूमि पथरीली एवं ककरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है। शेष लगभग 3.036 हे0 क्षेत्र जो वृक्षारोपण योग्य है।
4–	मीरजापुर	लालगंज	पटेहरा	नौदर	1क मि0	15.00	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 15.00 हे0 क्षेत्र में गेहूँ की फसल लगी हुयी है। जो अतिकमित है शेष 2.769 हे0 भूमि खाली है जो वृक्षारोपण योग्य है।
5–	मीरजापुर	लालगंज	लालगंज	मानिकपुर	3छ	3.00	ग्राम–मानिकपुर के आराजी संख्या–3छ रकबा 9.131 हे0 भूमि मौखिक रूप से एक सम्भावित अनुमान से जिस स्थान पर बताया गया उस स्थल पर लगभग 3 हे0 भूमि पर गेहूँ की खेती हो रही है तथा शेष 6.131 हे0 भूमि जो खाली पड़ा हुआ है वह पथरीली/ककरीली है जो वृक्षारोपण योग्य नही है।
6–	मीरजापुर	सदर	चुनार	सिन्धोरा	1007	39.911	ग्राम–सिन्धोरा, गाटा संख्या–1007, क्षेत्रफल 39.911 हे0 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। भूमि अत्यधिक पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त नही है।
					योग –	191.218	

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिकमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

15.928 हेक्टेयर चिन्हित गैर वन भूमि पर छतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद–सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत **344.688 हे0** वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में मीरजापुर वन प्रभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली **15.928** हे0 गैर वन भूमि का परीक्षण/सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से कराया गया, उनकी जॉच रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र सं	जनपद/ प्रभाग	तहसील	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	मीरजापुर	मड़िहान	पटेहरा	रैकरा	108य मि0	4.238	मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय मैनेजर,(सी0एस0आर0) द्वारा दिखायी गयी भूमि का मध्य जी0पी0एस0 रीडिंग लिया गया है जो N24°49'20.118"E82°39'52.038"है। प्रश्नगत भूमि को घूमकर निरीक्षण किया गया। वर्तमान में वहॉं पर लगभग 20 आर0सी0सी0 पीलर पड़े पाये गये एवं लगभग 0.25 हे0 भूमि पर आर0सी0सी0 पीलर ग्राउड किया पाया गया। प्रश्नगत प्रकरण भूमि का लगभग 40 प्रतिशत भाग पथरीला है, किन्तु वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
2–	मीरजापुर	मड़िहान	पटेहरा	रैकरा	108ठ	11.690	
					योग –	**15.928**	

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिकमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
विण्ढमफाल रेंज/पटेहरा

भूमि उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

Proposal NO- FP/UP/Mine/47074/2020

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन के खनन कार्य हेतु प्रभावित 344.688 हे0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष जनपद उन्नाव में उपलब्ध करायी जाने वाली ग्राम–सकरन विकासखण्ड–बिछिया में 10.57 हे0 गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

LT